बिहार सरकार (55) आई०डी० मैनेजर

पथ निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश -148

का०आ०सं०–निग/सारा–1 (पथ) आरोप–19/2008 पटना, दिनांक 10/6/26

श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध लोकायुक्त कार्यालय के पत्रांक–4210, दिनांक 06.08.2012 के आलोक में पथ प्रमंडल, भभुआ पदस्थापन अवधि में उनके नाम लंबित 19 मे०टन बिटुमीन के समतुल्य राशि रुपये 2,40,939/–(दो लाख चालीस हजार नौ सौ उनचालीस) मात्र की वसूली के मामले में कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। तदेन अभियंता प्रमुख (मु०) से प्राप्त आदेश के आलोक में लोकायुक्त कार्यालय से संबंधित वाद का प्राप्त अन्तिम आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय लोकायुक्त के द्वारा श्री कुमार के दायर वाद को खारिज कर दिया गया है। श्री कुमार द्वारा उक्त वसूली के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No-5582/2005 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 20.02.2007 को पारित न्यायादेश में श्री कुमार के याचिका को खारिज कर दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, भभुआ के द्वारा जारी श्री कुमार के अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र में वसूलनीय राशि रुपये 2,40,939/–(दो लाख चालीस हजार नौ सौ उनचालीस) में वसूल किये गये राशि के अतिरिक्त शेष राशि की वसूली आज भी किया जाना है।

2. पथ प्रमंडल, भभुआ के पदस्थापन अवधि के पश्चात श्री कुमार के सेवानिवृति तक के विभिन्न स्थानों के पदस्थापन स्थलों उक्त राशि के कटौती के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा सूचित किया गया कि **"श्री कुमार के कार्यरत अवधि दिनांक 16.07.2007 से दिनांक 04.12.2008 तक 1/100 किस्त रुपये 2349 एवं तत्पश्चात् रुपये 2410 प्रति किस्त की दर से 2/100 से 19/100 किस्त की कटौती कर ली गयी है।"** अन्य पदस्थापन स्थलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री सुरेश कुमार से उक्त वसूलनीय राशि के संबंध में कोई कटौती नहीं की गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल समस्तीपुर के द्वारा की गयी कटौती के अतिरिक्त रुपये 2,40,939/–(दो लाख चालीस हजार नौ सौ उनचालीस) वसूलनीय राशि में से शेष राशि की वसूली किया जाना है। अतः उक्त राशि की वसूली उनके अव्यवहृत उपार्जित अवकाश से कर लिया जाय।

प्रस्ताव पर अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–19/2008 **पटना, दिनांक..............................**

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मगध पथ अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या–01, औरंगाबाद/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा/मुख्यालय) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/रोकड़ शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03/13/14 एवं **श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–19/2008 4042(S) पटना, दिनांक 10/6/16

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

10.6.2016

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E/Nigrani Section/2011-12/Deepak Kumar/Adhisuchna/k.Adesh